(7)

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक:—एक—दो—एपीओ—एनओसी—पा..—2/1015 /2006 दिनांक: 21 फरवरी, 2007

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,

जनपद—सहारनपुर/मुजफ्फर नगर/मेरठ/महोबा/जालौन/बिजनौर, रामपुर/आगरा/अलीगढ़/एटा/हाथरस/आजमगढ़/फर्रुखाबाद/हमीरपुर लखनऊ/बदायूं/बरेली/औरैया/कानपुर नगर/देहात/गोरखपुर/सिद्धार्थनगर इलाहाबाद/सुलतानपुर/मैनपुरी/जौनपुरी/कन्नौज/गाजीपुर/देवरिया भदोही/मुरादाबाद/चित्रकूट एवं फर्रुखाबाद।

विषयः— अपने मूल कार्यालय/विभाग से बाहर सेवायोजन के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण।

आपके अधीनस्थ नियुक्त निम्न सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा—2006 एवं मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा—2006 में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है—

कसं	नाम अधिकारीगण	नियुक्ति जनपद	कसं	नाम अधिकारी गण	नियुक्ति जनपद
1	श्री भूलेराम	सहारनपुर	30	" रामसमुझ	"
2	" भूपेन्द्र प्रताप	"	31	" बंगाली	औरैया
3	कु0 शालू पिंगिल	"	32	सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी	कानपुर देहात
4	" इल्तमास अहमद	मुजफ्फर नगर	33	" संजय कुमार गुप्ता	गोरखपुर
5	" संजीव कुमार	"	34	" आनन्द प्रिय मौर्य	"
6	" संजय कुमार	"	35	" नीरज कुमार बक्शी	"
7	" अजय कुमार	मेरठ	36	" [illegible]	
8	" [illegible]	महोबा	37	अनिकेत कुमार बगाड़िया	
9	"योगेश्वरकृष्ण श्रीवास्तव	जालौन [illegible]	38	" रामाशीष कुशवाला	"
10	" रविकरण सिंह	"	39	" सुबाष चन्द्र	सिद्धार्थनगर
11	श्रीमती कविता रानी सिंह	बिजनौर	40	" विजय कुमार	"
12	" खतीब अहमद	रामपुर	41	" जयहिन्द	इलाहाबाद
13	श्रीमती सुभगा आनन्द	आगरा	42	" लक्ष्मी राज सिंह	एटा
14	" विनोद कुमार सिंह	"	43	सुश्री सुनयना त्रिपाठी	सुलतानपुर
15	" सुनील कुमार	अलीगढ़	44	श्री विनय कुमार सिंह	मैनपुरी
16	" संजय कुमार सुमन	एटा	45	" सुरेन्द्र राम	जौनपुर
17	" अनार सिंह	"	46	विजय कुमार राम	"
18	" रवीन्द्र पचौरी	हाथरस	47	" कृष्ण प्रताप यादव	कन्नौज
19	" रामवली	आजमगढ़	48	" महेन्द्र प्रसाद गुप्ता	जौनपुर
20	" सुनील	पीटीसी उन्नाव	49	" सुनील कुमार गुप्ता	गाजीपुर
21	" बाल मुकुन्द	फंजाबाद	50	" आशा राम पाण्डेय	देवरिया
22	" अच्छेलाल यादव	"	51	श्रीमती नीलिमा पाण्डेय	"
23	" धीरेन्द्र कुमार मिश्रा	हमीर पुर	52	श्री अजीत सिंह	भदोही
24	" रूदेन्द्र श्रीवास्तव	लखनऊ	53	" अनिल कुमार	सिद्धार्थ नगर
25	" अशोक कुमार शुक्ला	"	54	" शिवमूर्ति	मुरादाबाद
26	श्रीमती रूबी यादव	बदायूं	55	" नागेन्द्र गोस्वामी	कानपुर नगर
27	" नीरज कुमार	"	56	"नागेन्द्र गोस्वामी (पीसीएस परीक्षा हेतु)	कानपुर नगर
28	" अशोक कुमार यादव	"			
29	" राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति	"	57	" सतीश कुमार वर्मा	कानपुर नगर
30	श्रीमती शहला समी	बरेली	58	" नीरज कुमार बक्शी	गोरखपुर

2

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफ.टी.सी. न्या...
महिला के विरुद्ध अपराधों के निवारण हेतु
कानपुर नगर

मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा–2006

59	"	लक्ष्मी कांत मिश्रा	चित्रकूट
60	"	ओम प्रकाश जायसवाल	कानपुर नगर
61	"	कुल शेखर सिंह	कानपुर नगर
62	"	वीरेन्द्र कुमार	कानपुर नगर
63	"	सुरेश कुमार	फर्रूखाबाद
64	"	जसवंत सिंह	चित्रकूट
65	"	सतेन्द्र पाल सिंह	एटा
66	"	मोहन यादव	रामपुर

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशालय के पत्रांक–एक–दो–एपीओ–एनओसी–पार्ट–2/7371/2006 दिनांकः–30 अक्तूबर, 2006 एवं समस्त परिक्षेत्रों को निदेशालय के पत्रांकः–एफ–दो–एपीओ–एनओसी–पार्ट–2/7698/2006 दिनांकः–10.11.2006 द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है कि शासनादेश संख्याः–16/2/1968–कार्मिक–2 दिनांकः–19.6.1979 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी (स्थाई अथवा अस्थाई) संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के आयोग द्वारा भी विज्ञापित पदों के लिए अपने आवेदन–पत्र सीधे भेजने के लिए अधिकृत किये जाते हैं। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी आवेदन पत्र भेजने के तुरन्त बाद ही अपने विभाग/विभागाध्यक्ष को विज्ञापित पद के संबंध में पर्याप्त सूचना देते हुये उन्हे इस तथ्य से अवगत करा देगा कि उसने आवेदन पत्र सीधे भेज दिया है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर विभाग, विभागाध्यक्ष अपनी आपत्ति/आपत्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग/अन्य प्रदेशों के आयोगों को सूचित कर देंगे। यह सूचना संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बंधित आयोग को उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंकित तिथि के 30 दिन के अंदर पहुंच जानी है। यदि उक्त प्रकार की सूचना संघ लोक सेवा आयोग/अन्य प्रदेशों के आयोगों को उपरिलिखित अवधि के अंदर नहीं दी जाती है तो सम्बंधित आयोग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि विभाग/विभागाध्यक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और उस अधिकारी/कर्मचारी के अभ्यर्थित्व पर आयोग द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा–2006 के विज्ञापन के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है। अतः साक्षात्कार हेतु आमंत्रण प्राप्त होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करें एवं [illegible] शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त जिन पदों के विज्ञापन में आवेदन पत्र के साथ विभागीय अनापत्ति अपेक्षित हो, उन्हीं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जानी चाहिए। अन्यथा नियमानुसार उक्त पद हेतु आवेदन किये जाने की सूचना दी जाए।

(एस0जी0इमाम)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि––

समस्त अपर निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश को तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न किये जाने हेतु प्रेषित।

(एस0जी0इमाम)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0, लखनऊ।

एन0ओ0सी0

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(महिला के विरुद्ध अपराधों के निवारण हेतु)